

Format

1. Name of the firm:
2. Address for Communication:
3. Telephone and Mobile No. :
4. Fax No.:
5. E-mail Address:
6. Whether firm is empanelled with CAG: YES/NO:
(If yes, attach the documentary proof)
7. Registration of firm with ICAI (attach document):
8. Details of Chartered Accountants in the firm: (Attach documentary evidence)

SI.No.	Name	Year of completing CA	FCA/ACA	Whether DISA qualified. It yes give details

9. Details of the experience working with Govt./Semi Govt./Govt. undertakings/Govt. Agencies and subsidiaries (Attach Documentary evidences):
10. Details of firms audit experience in Water Sector: (Attach documentary evidence)
11. Annual turnover (in Rs lacs): (Attach documentary evidence)
Year 2015-16:
Year 2016-17:
Year 2017-18

I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge and there is no legal/criminal case pending against my/our firm.

(Authorized Signatory)

पुनर्विचार, दस्तावेजों की जांच और सूची, 'क'

- 1 सीओएफ फर्म भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा इम्पैनल्ड होनी चाहिए।
- 2 फर्म को लेखा परीक्षा कार्य का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 3 फर्म में कम से कम 04 या उससे अधिक पार्टनर होना चाहिए।
- 4 फर्म में कम से कम 02 एफओसीओएओ पार्टनर होना चाहिए।
- 5 फर्म का गत 03 वर्षों का न्यूनतम टर्न ओवर प्रति वर्ष रु0 50.00 लाख होना चाहिए।
- 6 फर्म के पास आईओसीओएओआईओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- 7 फर्म का एक कार्यालय लखनऊ में स्थित होना चाहिए।
- 8 फर्म को कार्य आबंटन पेयजल कार्यक्रमों के ऑडिट के अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

दस्तावेजों की सूची

- 1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (प्रोग्राम फण्ड) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की Balance Sheet तैयार करते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (प्रोग्राम फण्ड) का Audited Consolidated Balance Sheet तैयार करना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन को प्राप्त आयोजनेत्तर बजट का ऑडिट सम्बन्धी कार्य।
- 2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सपोर्ट फण्ड) के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितियों की Audited Balance Sheet तैयार किए जाने सम्बन्धी कार्य।
- 3 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सपोर्ट फण्ड) के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, विभिन्न संस्थाओं एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितियों की Audited Balance Sheet के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सपोर्ट फण्ड) का Audited Consolidated Balance Sheet तैयार किए जाने सम्बन्धी कार्य।

सूची

क्र.सं.	विवरण	अंश
1	कार्यदायी संस्था उओप्रओ जलनिगम, मुख्यालय (प्रोग्राम फण्ड) का ऑडिटेड बैलेंस शीट	Rs. 10000.00 + GST
	अन्य कार्यदायी संस्थाओं का ऑडिटेड बैलेंस शीट	Rs. 5000.00 + GST
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (प्रोग्राम फण्ड) का कन्सोलिडेटेड ऑडिटेड बैलेंस शीट	Rs. 10000.00 + GST
	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (वेतन एवं व्यय) बैलेंस शीट का ऑडिट	Rs. 10000.00 + GST
2	जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (सपोर्ट फण्ड) का ऑडिटेड बैलेंस शीट	Rs. 5000.00 + GST
3	पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन का ऑडिटेड बैलेंस शीट	Rs. 10000.00 + GST
	75 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितियों की बैलेंस शीटों का कन्सोलिडेशन @ Rs.1000 per DWSC	Rs. 75000.00 + GST

जनपदों में जाकर आडिट किये जाने हेतु **TA/DA** निम्नानुसार देय होगा:-

TA/DA	Upto 200 KMs	More than 200 KMs
Fare (To & Fro) for CA + one Assistant	Rs. 2000.00	Rs. 3500.00
Boarding & Lodging for CA + one Assistant	Rs. 3500.00	Rs. 3500.00
Total	Rs. 5500.00 (lumpsum)	Rs. 7000.00 (lumpsum)

इच्छुक फर्म निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक **16-08-2018 1 क 5 00** **rd** अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ-226001 को प्रेषित करे।

वर्तमान कार्य